कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, उ0प्र0
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ
सामान्य वर्ग

पत्रांक: 9316/एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम–228/2013 दिनांक: 23/10/2014

कार्यालय–ज्ञाप

सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर इण्डिया लिमिटेड, 903–905 9वॉ तल, टावर वी मिलेनियम प्लाजा सेक्टर–27, गुड़गॉव, हरियाणा का लो0नि0वि0, उ0प्र0 में मार्ग कार्यों की ठेकेदारी हेतु श्रेणी "ए" में पंजीकरण इस कार्यालय के पत्रांक–9536एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम–99/13, दि0–16.09.13 द्वारा दिनांक–30.06.2015 तक के लिए किया गया था, जिसमें कमशः 1. श्री विक्रम भवानी शंकर शर्मा, 2. श्री विकास भवानी शंकर शर्मा एवं 3. श्री भवानी शंकर हरीशचन्द्र शर्मा, 03 कार्यकारी एवं 1. श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह, 2. श्री मुकुल महावीर प्रसाद अग्रवाल, 3. श्री प्रमोद कासत, 4. श्री दक्षेन्द्र बृजमल्ला अग्रवाल एवं 5. श्री विनोद बाल मुकुन्द अग्रवाल, 05 अकार्यकारी, इस प्रकार कुल 08 निदेशक हैं।

मुख्य अभियन्ता, इण्डो–नेपाल बार्डर, लो0नि0वि0, लखनऊ के पत्रांक–413आई0एन0बी0/01आई0एन0बी0/13, दिनांक–20.12.13 एवं पत्रांक–491/आई0एन0बी0/01आई0एन0बी0/13, दिनांक–24.01.14 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार जनपद–महाराजगंज में इण्डो–नेपाल बार्डर योजना के अर्न्तगत खैराघाट–झुलनीपुर से पतलहवा मार्ग के भाग के निर्माण हेतु अधीक्षण अभियन्ता, इण्डो–नेपाल बार्ड वृत्त, लो0नि0वि0, गोरखपुर के पत्रांक–569/5सी–ई0ने0बा0वृत्त/गो0/2013, दिनांक–27.09.13 द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार एवं ई–टेण्डरिंग के माध्यम से निविदा आमन्त्रित की गई थी, जिसकी तकनीकी निविदा दिनांक–05.12.13 को 12:30 बजे ई–टेण्डरिंग के माध्यम से खोली गई थी। उपरोक्त कार्य हेतु सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर इण्डिया लिमिटेड, 903–905 9वॉ तल, टावर वी मिलेनियम प्लाजा सेक्टर–27, गुड़गॉव, हरियाणा (निविदा में दर्शाया गया पता–सुप्रीम हाऊस, प्लाट नं0–94/सी, प्रतापगद्द, आई0आई0 टी0 मेन गेट के अपोजिट, पवई, मुम्बई, महाराष्ट्र) एवं रूद्राणी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ए–9, कोआपरेटिव सोसाइटी, एम0आई0डी0सी0 एरिया, रेलवे स्टेशन रोड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र ने निविदा डाली थी, जिसमें रूद्राणी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ए–9, कोआपरेटिव सोसाइटी, एम0आई0डी0सी0 एरिया, रेलवे स्टेशन रोड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र के द्वारा अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1(इण्डो नेपाल बार्डर), लो0नि0वि0, महाराजगंज के कार्यालय में जमा की गई धरोहर धनराशि के रूप में कुल तीन नं0 टी0डी0आर0 संख्या (1) 894458, (खाता सं0–50122480101) दि0–20.9.13 धनराशि रू0–4,30,54,968/–, (2) 894154, (खाता सं0–50122736763) दिनांक–20.9.2013 धनराशि रू0–2,15,27,487/– एवं (3) 894152, (खाता सं0–50078092365) दिनांक–20.9.2013 धनराशि रू0–2,50,27,487/–,इस प्रकार कुल रू0–8,96,09,942/–(रू0–आठ करोड़ छियानबे लाख नौ हजार नौ सौ बयालिस मात्र), जो इलाहाबाद बैंक की अलीपुर शाखा, ए–रोनाल्डसे मार्ग, कोलकाता, पश्चिमी बंगाल द्वारा निर्गत की गयी हैं, का सत्यापन संबंधित बैंक से कराए जाने पर फर्जी पाई गई। रूद्राणी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र ने फर्जी धरोहर धनराशि संलग्न कर विभाग के साथ धोखा–धड़ी की है। सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर इण्डिया लिमिटेड, 903–905 9वॉ तल, टावर वी मिलेनियम प्लाजा सेक्टर–27, गुड़गॉव, हरियाणा(निविदा में दर्शाया गया पता–सुप्रीम हाऊस, प्लाट नं0–94/सी, प्रतापगद्द, आई0आई0टी0 मेन गेट के अपोजिट, पवई, मुम्बई, महाराष्ट्र) के निदेशक श्री विक्रम भवानी शंकर शर्मा, श्री विकास भवानी शंकर शर्मा एवं श्री भवानी शंकर हरीशचन्द्र शर्मा, रूद्राणी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र के निदेशक मंडल में भी शामिल हैं। किसी भी कम्पनी/कम्पनी के निदेशकों द्वारा धोखा–धड़ी करने पर उसकी पूर्ण जिम्मेदारी कम्पनी/कम्पनी सभी निदेशकों की होती है। इससे स्पष्ट है कि रूद्राणी इन्फ्रास्ट्रक्चर इण्डिया लिमिटेड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र के द्वारा की गई धोखा–धड़ी में सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर इण्डिया लिमिटेड, 903–905 9वॉ तल, टावर वी मिलेनियम प्लाजा सेक्टर–27, गुड़गॉव, हरियाणा(निविदा में दर्शाया गया पता–सुप्रीम हाऊस, प्लाट नं0–94/सी, प्रतापगंज, आई0आई0टी0 मेन गेट के अपोजिट, पवई, मुम्बई, महाराष्ट्र) भी शामिल है। इस प्रकार उपरोक्त कम्पनी/कम्पनियों के निदेशकों द्वारा धोखा–धड़ी की गयी, जिसके लिए रूद्राणी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, ए–9, कोआपरेटिव सोसाइटी, एम0आई0डी0सी0 एरिया, रेलवे स्टेशन रोड, औरंगाबाद, महाराष्ट्र के साथ–साथ सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर इण्डिया लिमिटेड, 903–905 9वॉ तल, टावर वी मिलेनियम प्लाजा सेक्टर–27, गुड़गॉव, हरियाणा (निविदा में दर्शाया गया पता–सुप्रीम हाऊस, प्लाट नं0–94/सी, प्रतापगद्द, आई0आई0टी0 मेन गेट के अपोजिट, पवई, मुम्बई, महाराष्ट्र) भी आई0टी0बी0 में निहित शर्तों के उल्लंघन एवं निविदा के साथ संलग्न किए गए स्वयं के शपथपत्र को गलत सिद्ध किए जाने के संबंध में भी सुसंगत अभिलेखों के आधार पर दोषी हैं।

तद्नुक्रम में मुख्य अभियन्ता, इण्डो–नेपाल बार्डर, लो0नि0वि0, लखनऊ के उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक–20.12.13 द्वारा उपलब्ध करायी गयी संस्तुति के परिपेक्ष्य में इस कार्यालय के पत्रांक–1615एम0टी0/सामान्य वर्ग/54एम0–99/2013, दिनांक–19.02.14 द्वारा सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर इण्डिया लिमिटेड, 903–905 9वॉ तल, टावर वी मिलेनियम प्लाजा सेक्टर–27, गुड़गॉव, हरियाणा(निविदा में दर्शाया गया पता–सुप्रीम हाऊस, प्लाट नं0–94/सी, प्रतापगद्द आई0आई0टी0 मेन गेट के अपोजिट, पवई, मुम्बई, महाराष्ट्र) के निदेशक श्री विकास भवानी शंकर शर्मा को उनकी कम्पनी के उपरोक्त पंजीकरण को निरस्त कर कम्पनी व उसके समस्त निदेशकों को उक्त कृत्य हेतु दोषी

पेज 2 पर.....

BlackList-001.jpg

मानते हुए काली सूची में डाले जाने हेतु कारण बताओ नोटिस जारी कर, दिनांक–07.03.2014 तक का समय उत्तर प्रस्तुत कि दिया गया, किन्तु नियत अवधि में कम्पनी/निदेशक का कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इस संबंध में पुनः इस कार्यालय के पत्र एम0टी0, दिनांक–26.03.2014 द्वारा कम्पनी/निदेशक को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए एक सप्ताह का अतिरिक्त समय प्रदान कि जिसके कम में कम्पनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर इण्डिया लिमिटेड, मुम्बई, महाराष्ट्र के पत्र दिनांक–19.04.14 द्वारा किया गया कि उक्त तथ्यों की जानकारी होते ही कम्पनी के निदेशक, रूद्राणी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से अलग हो गए हैं और अब कम किसी भी प्रकार से रूद्राणी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से जुड़ी नहीं है। इस सूचना के कम में सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर इण्डिया लिमिटेड द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करने हेतु 30 दिन का समय प्रदान करने का अनुरोध किया गया, जिसपर इस कार्यालय के पत्रांक–3139एम0टी0, दि0–08.05.14 द्वारा कम्पनी को दिनांक–18.05.2014 तक का समय कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत करने हेतु प्रदान किया गया, परन्तु अब तक कम्पनी द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस कार्यालय के अर्द्ध शासकीय पत्रांक–5229एम0टी0, दि0–26.06.2014 द्वारा मुख्य अभियन्ता, इण्डो–नेपाल बार्डर, लो0नि0वि0, लखनऊ से आख्या/संस्तुति मांगी गयी, जिसके कम में उनके पत्रांक–1190/आई0एन0बी0, दि0–14.07.14 द्वारा उक्त कम्पनी/निदेशकों को शासनादेश सं0–4127एम0एस0/23सा0नि0अनु0(7), दिनांक–02.12.74 द्वारा जारी सार्वजनिक निर्माण विभाग, उ0प्र0 हेतु ठेकेदारों को डिबार एवं ब्लैक लिस्ट किए जाने हेतु जारी नियमावली के ब्लैक लिस्टिंग के नियम "ए" के अर्न्तगत की ब्लैक लिस्ट किए जाने की संस्तुति की गयी है।

शासनादेश सं0–4127एम0एस0/23सा0नि0अनु0(7), दिनांक–02.12.74 द्वारा जारी सार्वजनिक निर्माण विभाग, उ0प्र0 हेतु ठेकेदारों को डिबार एवं ब्लैक लिस्ट किए जाने हेतु जारी नियमावली के ब्लैक लिस्टिंग के नियम "ए" में निम्नलिखित प्राविधान उल्लिखित है:–

"Chief Engineer may Blacklist a contractor(including a firm with all its known partners & propriter) whether registrerd or otherwise where:-

a. There are sufficiant and strong reason to believe that the contractor or his employees has been guilty of malpractices such as brivery, corruption, fraud including substitution of, or interpeletion in tenders, pilfering or unauthorised use or disposal of Government materials issued for specific works etc."

अतः मुख्य अभियन्ता, इण्डो–नेपाल बार्डर, लो0नि0वि0, लखनऊ उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक–20.12.13 द्वारा प्राप्त आख्या/प्रस्ताव एवं पत्र दिनांक–14.07.2014 द्वारा उपलब्ध कराए गए सुसंगत अभिलेखों एवं की गयी संस्तुति के आधार पर सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर इण्डिया लिमिटेड, 903–905 9वॉं तल, टावर बी मिलेनियम प्लाजा सेक्टर–27, गुड़गांव, हरियाणा(निविदा में दर्शाया गया पता–सुप्रीम हाऊस, प्लाट नं0–94/सी, प्रतापगढ़द, आई0आई0टी0 मेन गेट के अपोजिट, पवई, मुम्बई, महाराष्ट्र) एवं उसके समस्त निदेशकों को विभाग के साथ धोखा– धड़ी करने का दोषी पाए जाने के कारण शासनादेश सं0–4127एम0 एस0/23सा0नि0अनु0(7), दिनांक–02.12.74 द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग, उ0प्र0 हेतु ठेकेदारों को डिबार एवं ब्लैक लिस्ट किए जाने हेतु जारी नियमावली के ब्लैक लिस्टिंग हेतु निहित प्राविधानों के अर्न्तगत उक्त कम्पनी व उसके निदेशकों को एतदद्वारा ब्लैकलिस्ट (Black List) किया जाता है तथा नियमानुसार उक्त कम्पनी के इस कार्यालय के उपरोक्त पत्र दिनांक–16.09.13 द्वारा जारी पंजीकरण आदेश को भी तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

यह आदेश तत्काल से प्रभावी होगें।

(मुकुल सिंह)
मुख्य अभियन्ता (मु0–2)
लो0नि0वि0 लखनऊ

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप सचिव, लोक निर्माण अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. समस्त क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश एवं मुख्य अभियन्ता, विश्वबैंक, रा0मार्ग, पी0एम0जी0 एस0 वाई0, डास्प/सोडिक लो0नि0वि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे इस आदेश की प्रति अपने स्तर से अपने अधीनस्थ समस्त अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ताओं एवं कार्य अधीक्षकों को उपलब्ध करा दें।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड लखनऊ।
4. प्रबन्धक निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता, इण्डो–नेपाल बार्डर, लो0नि0वि0 लखनऊ को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक–20.12.13 व दिनांक–14.07.2014 के संदर्भ में।
6. निदेशक/मुख्य अभियन्ता, मण्डी परिषद, गोमतीनगर, लखनऊ।

पेज 3 पर

BlackList-002.jpg

7. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियत्रंण सेवा विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी, मुम्बई, 100, एवरेस्ट, मरीन ड्राइव, मुम्बई–400002 को उक्त कम्पनी के सिन–L74999MH1983PLC029752 के संदर्भ में।
10. अधीक्षण अभियन्ता, इण्डो–नेपाल बार्डर वृत्त, लो0नि0वि0 गोरखपुर।
11. अधिशासी अभियन्ता, कम्प्यूटर सेल, लो0नि0वि0, लखनऊ को उक्त आदेश विभागीय वेब साइट पर डाले जाने हेतु प्रेषित।
12. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड–1(इण्डो–नेपाल बार्डर), लो0नि0वि, महाराजगंज को उपरोक्त आदेश की एक अतिरिक्त प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि इसे उपरोक्त कम्पनी/निदेशक को तामील कराकर पावती इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकःउपरोक्तानुसार

13. श्री विक्रम भवानी शंकर शर्मा, निदेशक सुप्रीम इन्फ्रास्ट्रक्चर इण्डिया लिमिटेड, 903–905 9वीं तल, टावर दी मिलेनियम प्लाजा सेक्टर–27, गुड़गॉव, हरियाणा(निविदा में दर्शाया गया पता–सुप्रीम हाऊस, प्लाट नं0–94/सी, प्रतापगंज, आई0आई0टी0 मेन गेट के अपोजिट, एवई, मुम्बई, महाराष्ट्र)।
14. पत्रावली संख्या–54एम–99/2013 में रखे जाने हेतु।

(राजेश्वर सिंह)
वरिष्ठ स्टाफ आफिसर (सा0)
लो0नि0वि0 लखनऊ

BlackList-003.jpg